



मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय,
रतलाम (प.रे.)



Scan QR Code to download e-Samadhan APP

काआसं.ईडी / 80 /2021

सं.ईडी/840/MD/4 भाग 11

दिनांक : 01.04.2021

कार्यालय आदेश

विषय :- पेरामेडीकल कोटियो मे संविदा आधार पर कार्यरत कर्मचारियो की संविदा अवधि बढाने बाबत ।

संदर्भ :- 1) Railway Board's letter No. E(NG)II/2005/RC-4/SC/2 Pt 1 dtd. 30.03.2021.

2) इस कार्यालय का समसंख्यक पत्र दिनांक 22.02.2013,25.03.2013,12.07.2013,21.12.2015, 01.02.2017, 09.02.2017,18.05.2017,03.04.2019,04.07.2019,12.07.2019,26.03.2020, 30.03.2020,02.04.20,03.04.20, 22.04.2020,03.06.2020,14.07.20,30.09.2020 एवं 01.01.2021

उपरोक्त संदर्भित कार्यालय आदेश के द्वारा पेरा मेडीकल कोटि मे कार्यरत निम्नलिखित संविदा कर्मचारियों को संविदा के आधार पर कार्य करने हेतु नियुक्ति प्रदान की गयी थी। जिसकी संविदा अवधि दिनांक 31.03.2021 को समाप्त हो चुकी है।

रेल्वे बोर्ड के संदर्भित पत्र दिनांक 30.03.2021 के द्वारा संविदा के आधार पर कार्यरत निम्नलिखित संविदा कर्मचारियों की संविदा अवधि दिनांक 30.09.2021 तक अथवा नियमित रूप से चयनित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक इनमे से जो भी पहले हो तब तक के लिये बढाई गयी है।

क्र.सं.	नाम सर्वश्री/श्रीमती/कु.	पदनाम	कार्यरत स्टेशन	रिमार्क
01	श्री प्रदीप मिश्रा	संविदा एक्सरे टेक्नीशियन/रेडियोग्राफर	मं.चि.रतलाम	नियमित रिक्ति के विरुद्ध
02	श्री अशरफ अली शैख	संविदा लेब असिस्टेंट ग्रेड II	मं.चि.रतलाम	नियमित रिक्ति के विरुद्ध
03	नाजीर खान पठान	संविदा नर्सिंग अधीक्षक	मं.चि.रतलाम	COVID-19 के लिये
04	शक्ति घोसरे	संविदा नर्सिंग अधीक्षक	मं.चि.रतलाम	COVID-19 के लिये
05	प्रियंका	संविदा नर्सिंग अधीक्षक	मं.चि.रतलाम	COVID-19 के लिये

उपरोक्त दर्शाये गये उम्मीदवारो को दो दिनों का अंतराल (ब्रेक) के एवं घोषणा पत्र भरवाने के पश्चात संविदा अवधि दिनांक 30.09.2021 तक अथवा आरआरबी द्वारा नियमित रूप से चयनित उम्मीदवार उपलब्ध होने तक इनमें से जो भी पहले हो तब तक के लिये संविदा अवधि बढाई जाती है।

अनुपालना की रिपोर्ट सर्वसंबंधितो को देवे।

इसे सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।

संलग्न :- घोषणा पत्र

(दीपक परमार)

मंडल कार्मिक अधिकारी

कृते-मंडल रेल प्रबंधक (स्था) रतलाम

प्रतिलिपि:-

व.मं.वि.प्र.मुचिअ,अमुचिअ स्वा./प्रशासन,मुख्य मेट्रन

मुकाअ-वेतन, ईडी., मंडल चिकित्सालय,

मंडल मंत्री-वेरेमसंघ/वेरेएयूनियन/एससी-एसटी एसो/ओबीसी एसो.रतलाम.

उक्त आदेश e-समाधान एप पर उपलब्ध है।